न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुढ़ामालानी

पीठासीन अधिकारी- श्री दिनेश बिश्नोई R.A.S.

प्रकरण संख्या :- 11/2019

वादीगण

[illegible] पुत्र [illegible]
जाति कलबी निवासी [illegible] की ढाणी [illegible] तहसील
गुढ़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. [illegible] पुत्र [illegible]
   जाति पुरोहित निवासी [illegible] तहसील गुढ़ामालानी जिला बाड़मेर
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुढ़ामालानी
3. तहसीलदार गुढ़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :-

1. श्री रामजीवन बिश्नोई अधिवक्ता वादीगण

-: निर्णय :-

दिनांक :- 13/09/19

वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 रा.प. धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का पैतृक व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि मौजा [illegible] पटवार हल्का [illegible] तहसील गुढ़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 54 रकबा 0-02 बीघा, खसरा नम्बर 55 रकबा 9-05 बीघा व मौजा [illegible] की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 152 रकबा 40-04 बीघा वक्त सैटलमेंट से आया हुआ है। भू प्रबन्ध संवत 2012 में वादी के दादा पूर्व पुरु[illegible] लगान जारी होकर खातेदारी रेकर्ड संधारित [illegible] का देहान्त हुआ तब उक्त आराजी वादी के पिता [illegible] में कौनसी का नामान्तरण खोला गया। उक्त वादग्रस्त [illegible] में वादी का [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। इसी हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा-काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का खाते में नाम दर्ज नही होने के कारण वादी हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत [illegible] वादग्रस्त खेतो में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:05:34 IST
Reason: SelfAttested

SOD गुढ़ामालानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/09/18	वकील वादीगण उपस्थित। वादीगण के साथ वादी स्वयं रमेश कुमार उपस्थित। रमेश कुमार के बयान कलमबद्ध करवाए गये। प्रतिवादी गीगाराम ने उपस्थित होकर वादी के दावे को कबूल किया [illegible] के कोई आपत्ति नहीं है तथा लिखित जवाब पेश कर वादी के दावे को स्वीकार किया। वकील वादी की बहस सुनी। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया जिसकी पालना जारी हो। पत्रावली निर्णय हुक्म होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 18:05:34 IST
Reason: SelfAttested